लोकतंत्र बनाम अराजकता विषय पर भाजयुमो ने आयोजित किया युवा संवाद

अरवल। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अरवल के तत्वावधान में बैदराबाद स्थित एक निजी होटल सभागार में लोकतंत्र बनाम अराजकता विषय पर युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष चुन्नू

लोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की भूमिका अहम् : मनोज



नंदन कुमार ने की, जबकि मंच संचालन जिला महामंत्री आशुतोष पाण्डेय ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मनोज कुमार एवं भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र देश की सबसे बड़ी ताकत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज, संवैधानिक मूल्यों और कानून के शासन का सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र के प्रति जागरूक रहने और अराजकता के विरुद्ध मजबूती से खड़े होने की अपील की। वहीं विधायक मनोज कुमार ने कहा कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति और परिवर्तन का आधार होते हैं। युवाओं को लोकतंत्र एवं अराजकता के बीच अंतर समझते हुए अपनी ऊर्जा विकास, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र निर्माण में लगानी चाहिए। युवाओं की जागरूकता से ही लोकतंत्र मजबूत होगा और विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा।

इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री संजीव कुमार, जिला कार्यालय मंत्री धनंजय कुमार, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बबुआन प्रिंस, जिला मंत्री कौशल पासवान, युवा नेता कुंदन कुमार, मंडल अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह एवं जितेंद्र शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

दीपावली से पहले बाजारों में नकली पटाखे और पेंट की बिक्री की आशंका

अरवल। आगामी दीपावली पर्व को लेकर जिले के विभिन्न बाजारों में नकली एवं गुणवत्ताहीन पटाखे तथा पेंट के कारोबार को लेकर चिंता जताई जा रही है। अरवल, परासी, कलेर, मेहंदिया, किंजर, करपी और कुर्था बाजार में ऐसे सामानों की बिक्री की आशंका व्यक्त की जा रही है। पर्व के मद्देनजर बाजारों में खरीदारी बढ़ने के साथ ही मिलावटी और नकली उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना जरूरी हो गया है। खासकर नकली पटाखों की बिक्री से लोगों की जान-माल और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहीं, नकली पेंट से उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन से मांग की जा रही है कि संबंधित विभागों की संयुक्त टीम गठित कर बाजारों में दुकानों की जांच कराई जाए। पटाखों के लाइसेंस, गुणवत्ता और भंडारण की भी जांच हो।

दोषी कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि दीपावली का पर्व सुरक्षित और खुशहाल माहौल में मनाया जा सके।

जनता दरबार में एसपी ने सुनी फरियादियों की समस्या

अरवल। पुलिस अधीक्षक किरण कुमार गोरख जाधव इन दिनों अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में हैं। वे अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार के दौरान स्वयं खड़े होकर फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं। लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को त्वरित, निष्पक्ष एवं नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दे रहे हैं। वहीं जिले में सूखा



नशा के कारोबार पर अंकुश लगाने को लेकर भी एसपी ने सख्त रुख अपनाया है। सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लगातार छापेमारी अभियान चलाने और नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस की इस सक्रियता से आम लोगों में सकारात्मक संदेश जा रहा है। इससे अपराध नियंत्रण, चोरी की घटनाओं पर अंकुश और जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद बढ़ी है।

पूर्व रेलवे

ई-नीलामी सूचना

सं. सीओएम/पीयूपी/पीआरओ/ई-ऑक्शन/2026 दिनांक: 02.11.2026

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, पिन-713301 द्वारा अनुबंध प्रदान करने के लिए आईआरईपीएस पोर्टल के जरिए वेबसाइट www.ireps.gov.in के माध्यम से खुली ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है। इसका विवरण निम्नानुसार है: ई-नीलामी कैटलॉग सं.: एसएन-पीएसी-171026, नीलामी शुरू होने की तिथि: 17.11.2026, 12.00 बजे। नीलामी की कैटेगरी: पार्सल जगह (एसएलआर) को लीज पर देना। ट्रेन नं. एवं एसएलआर : 19436 आसनसोल-अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस, एसएलआर-1; सभी प्रत्याशित बोलीदाताओं को उपर्युक्त सूची के अनुसार उक्त ई-नीलामी के संपूर्ण विवरण एवं भाग लेने के लिए वेबसाइट www.ireps.gov.in देखने की सलाह दी जाती है। ASN-309/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना

बिहार विधान सभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या-03/2024 के अंतर्गत प्रतिवेदन पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 29.06.2025 एवं 30.06.2025 को आयोजित आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं मापदण्डों को पूरा नहीं किये जाने के कारण किसी भी अभ्यर्थी को अगले चरण के लिए योग्य नहीं पाया गया है।

ह./-जय प्रकाश दूबे
अवर सचिव
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

रामानुजन एवं सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यार्थी 18 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
जिला स्तर पर मिलेगा 5 हजार रुपये तक का पुरस्कार

अरवल। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार तथा बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तत्वावधान में श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स-2026 एवं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस-2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसमें कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. प्रणव कुमार ने जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों से प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर तथा संभावित परीक्षा तिथि 24 से 26 नवंबर निर्धारित है। परीक्षा में 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर चार अंक तथा गलत उत्तर पर एक अंक की कटौती होगी। राज्य स्तर पर प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वालों को लैपटॉप, मेडल एवं प्रशस्ति-पत्र मिलेगा। जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमश: पांच हजार और तीन हजार रुपये दिए जाएंगे। तृतीय से दसवें स्थान तक के विद्यार्थी भी पुरस्कृत होंगे। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी प्रो. संतोष कुमार ने बताया कि परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगी। विद्यार्थियों को निर्धारित केंद्र पर उपस्थित होना होगा। इच्छुक विद्यार्थी संबंधित बेवसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला

अरवल। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं अधिकारों के संरक्षण को लेकर बुधवार को समाहरणालय परिसर में जिला स्तरीय कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास



निगम, बिहार तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन अपर समाहर्ता रवि प्रसाद चौहान, अपर समाहर्ता बालेश्वर प्रसाद, एसडीओ संजीव कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्षता जिला प्रोग्राम पदाधिकारी माला कुमारी ने की। कार्यशाला में राज्य नोडल पदाधिकारी सह प्रशिक्षक अंकिता कश्यप ने पॉश अधिनियम 2013 के प्रावधानों, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 या अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन अनिवार्य है। महिलाओं की शिकायतों का निष्पक्ष एवं गोपनीय तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को बिना भय और संकोच के शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं महिला कर्मी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाने का संकल्प लिया।

सांसद प्रतिनिधि बिंदा यादव की पत्नी का हृदयाघात से निधन

करपी, अरवल। करपी प्रखंड अंतर्गत नगवां पंचायत के टेकारी गांव में जहानाबाद सांसद के करपी प्रखंड प्रतिनिधि बिंदा यादव की धर्मपत्नी का बुधवार को हृदयाघात के कारण निधन हो गया। उनके असामयिक निधन से परिवार सहित पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। दीपावली एवं छठ पूजा को लेकर जहां गांव में उत्साह और उमंग का माहौल था, वहीं इस दुखद घटना से खुशियां मातम में बदल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को अपराह्न करीब 3 बजे बिंदा यादव की धर्मपत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल अरवल ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में हृदयाघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस अप्रत्याशित घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की खबर मिलते ही परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों एवं ग्रामीणों के बीच शोक व्याप्त हो गया। त्योहारों की तैयारियों में जुटे गांव के लोगों के बीच भी इस खबर से मायूसी छा गई। जिस गांव में दीपावली और छठ पूजा को लेकर उत्साह का वातावरण था, वहां अचानक गमगीन माहौल बन गया। बिंदा यादव जहानाबाद सांसद के करपी प्रखंड प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं।

बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना

बिहार विधान सभा सचिवालय के विज्ञापन संख्या-01/2024 के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 29.01.2024 से 15.02.2024 तथा दिनांक 29.11.2024 से 13.12.2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पुन: ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 07.11.2026 (11:00 बजे पूर्वा.) से आवेदन कर सकते है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.11.2026 है। जो अभ्यर्थी इस पद हेतु पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

आवेदन करने से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक निर्देश बिहार विधान सभा सचिवालय के वेबसाइट https://vidhansabha.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

ह./-जय प्रकाश दूबे
अवर सचिव
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

वर्गीकृत

NAME CHANGE

I hitherto Known as ABUL HAIYAD S/o SK MAHIMUDDIN R/o Village-belwa, P.O- dangol, Deugole, PO: Dangal, DIST: Katihar, Bihar - 854317, have changed my name and shall hereafter be known as ABUL HAYAT.

शपथ पत्र

मैं निहारिका देवी (NIHARIKA DEVI) पति-नन्द किशोर सिंह निवास-अरक थाना-कृष्णाब्रह्म जिला बक्सर बिहार 802111 शपथ पत्र संख्या-19308 दिनांक 28-10-26 एवं 19476 दिनांक 2-11-26 के द्वारा घोषणा करती हूं कि मेरे पुत्र आनन्द प्रताप सिंह (ANAND PRATAP SINGH) वर्ग-नवम एवं अमूल्य प्रताप सिंह (AMULYA PRATAP SINGH) वर्ग -आठ के स्कूल संत कैरेन्स कालेजियेट स्कूल बिहटा के पंजी में मेरा नाम निहारिका सिंह दर्ज हो गया है जो गलत है मेरी सही नाम निहारिका देवी है। CN.-7792

शपथ पत्र

मैं, अमरनाथ वर्मा, पिता-स्व. बद्री लाल वर्मा, उम्र लगभग 36 वर्ष, वर्तमान एवं स्थायी निवासी वर्मा हाउस, वृंदावन कॉलोनी, गली नं.-8, कृष्णा पथ, (SBI) ट्रांसपोर्टनगर ब्रांच के नजदीक, वार्ड नं. -55, कुम्हरार, थाना-अगमकुआं, पोस्ट ऑफिस-बी.एच. कॉलोनी, पटना, बिहार-800026 है। यह कि मेरे सगा बेटे के जन्म प्रमाण पत्र पर उसका सही नाम Shiv Narayan Verma (शिव नारायण वर्मा) और जन्म तिथि दर्ज है। यह कि गलती और अज्ञानतावश मेरे बेटे के आधारकार्ड पर उसका नाम त्रुटिवश Shree Narayan (श्री नारायण) दर्ज हो गया है। यह कि Shiv Narayan Verma और Shree Narayan दोनों एक ही बच्चे (मेरे बेटे) के नाम हैं और भविष्य में उसे केवल Shiv Narayan Verma (शिव नारायण वर्मा) के नाम से ही जाना और पहचाना जाये। शपथ पत्र सं. 32 ता. 3.11.26

जन्म तिथि परिवर्तन

मैं, रमेश कुमार शर्मा, पुत्र कृपाल मिस्त्री, निवास-भागवती कॉलोनी, पीपरा रोड, परसा बाजार, पो.-परसा, जिला-पटना (बिहार) 804453 शपथ पत्र सं. 19701 ता. 4.11.26 द्वारा यह घोषणा करता हूं कि अभय कुमार मेरा पुत्र है। मेरे पुत्र के स्कूल रिकार्ड में जन्मतिथि 20.5.2011 दर्ज है, जो गलत है। मेरे पुत्र का सही जन्म तिथि 20.5.2013 है, जो उसके आधारकार्ड में दर्ज है।

रसीद सं. 990

नाम परिवर्तन

मैं, जैतून ज्योति, पिता-कौशल आलम, निवास नं.-बी/149, बुद्धा कॉलोनी थाना-बुद्धा कॉलोनी, जिला-पटना (बिहार)-800013 शपथ पत्र सं. 6085 तारीख 13.10.26 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि मेरे मैट्रिक सर्टिफिकेट में गलती से मेरा नाम जतिन ज्योति (Jatin Jyoti) हो गया है जबकि मेरे आधारकार्ड में जैतून ज्योति और बांकी सारे सर्टिफिकेट में जैतून ज्योति ही है, जो कि सही एवं सत्य है। अत: मैं ही जैतून ज्योति और जतिन ज्योति हूं। दोनों मेरा ही नाम है तथा जैतून ज्योति के नाम से भविष्य में जानी तथा पहचानी जाऊंगी।

NAME CHANGE

I hitherto Known as ADITYA NARAYAN GOSWAMI S/o SURESH PRASAD R/o Ward Number 04, Hanumant Nagar Near Shemrock School, Bettiah, Bettiah, PO: Bettiah, DIST: West Champaran, Bihar - 845438, have changed my name and shall hereafter be known as RAHUL KUMAR GUPTA.

शपथ पत्र

मैं, शैरु निशा पति मोहम्मद खुरसैद, ग्राम शंभू नगर, वार्ड नंबर 01, पोस्ट थुम्मा, थाना रुन्नीसैदपुर, जिला सीतामढ़ी की हूं। यह कि मेरे बच्चे का नाम मार्कशीट में अताउल्लाह है जबकि आधार कार्ड में मोहम्मद अताउल्लाह अंकित है जो गलत है। शपथ पत्र संख्या 79497/ 26 है।

Change Name

I, Satyendra Ray S/o Ram Jatan Ray R/o vill.- Darihara Chaturbhuj P.O.-Darihara P.S.-Dariyapur Distt.-Saran (Bihar) vide Affidavit No. 11193 date 2.11.26 My name is per my Aadhar card is Satish Kumar Yadav. That my name as per my Indian Passport is Satyendra Ray. That Now I will be known as Satyendra Ray for all purposes.

शपथ पत्र

मैं, हसीन अख्तर पिता शेख वाजुल हक, निवासी ग्राम मस्था ताहिर वार्ड नंबर-13 थाना वो अंचल-बैरगनिया, अनुमंडल सीतामढ़ी सदर, जिला सीतामढ़ी का निवासी हूं। मेरा आधार नंबर 9434 1674 4280 है। मेरा नाम आधार कार्ड में हसीन अख्तर एवं मौजा मरपा ताहिर के दस्तावेज नंबर 1110 में मेरा नाम मो0 शमीम अख्तर है मैं दोनों नाम से जाना जाता हूं। हसीन अख्तर एवं मो. शमीम अख्तर दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है जो मैं हूं। मेरे पिता का नाम मो. वाजुल हक एवं शेख वाजुल हक है मेरे पिता दोनों नाम से जाने वो पहचाने जाते है। जो मेरे पिता है। शपथ पत्र संख्या -78690/ 26 है।

NAME CHANGE

I hitherto known as NITIL GAURAV S/o PINTU KUMAR, R/o Khanpur, P.O.-Kothia, P.S.- Didarganj, Dist. - Patna, State-Bihar, Pin Code-800009, have changed my name and shall hereafter be known as NITIN KUMAR. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

शपथ-पत्र

मैं, प्रमिला देवी, पति लाल बाबू राय, ग्राम मोलाहा, पोस्ट अरबिंद नगर, थाना दरियापुर, वार्ड नं.-05, जिला छपरा सारण बिहार-841221 शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि मेरी सुपुत्री तान्वी कुमारी है जिसका आधार कार्ड पर नाम सुरभि कुमारी है जो की गलत है। मेरी सुपुत्री का सही नाम सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्र के अनुसार तान्वी कुमारी है। सुरभि कुमारी ओर तान्वी कुमारी दोनों नाम एक ही व्यक्ति (लड़की) से सम्बंधित है जो कि मेरी सुपुत्री है। आज से मेरी पुत्री तान्वी कुमारी के नाम से जानी जाएगी। 17060/2-11-26

शपथ पत्र

मैं विकी कुमारी पति अम्बुज कुमार, एलआईसी-12, शहीद भगत सिंह कालोनी, अशोक नगर, पो+थाना- रामपुर, जिला-गयाजी, शपथ पत्र सं. 41099/26.10.26 के तहत घोषणा करती हूं कि मेरा आधार सं. 9388 3355 3985 है। मेरे पुत्र प्रशांत गौतम डीएवी स्कूल रोटरी कैम्पस अशोक नगर, गया से वर्ग अष्टम पास किया था। यह कि मेरे पुत्र का वर्ग अष्टम पास का मूल टीसी कहीं गिर गया जिसका सनहा सं. क्म्छ 0988/26/23.10.26 सिविल लाईन्स थाना में दर्ज है। यह कि मैं यह शपथ पत्र अपने पुत्र प्रशांत गौतम का डूप्लीकेट टीसी निर्गत हेतु शपथ पत्र कर रही हूं।

खोया-पाया

मैं श्री आनंद सोम [illegible] (Sale Deed) संख्या 5796, दिनांक 11.08.2014 [illegible] 2014, [illegible] - 208, [illegible] 5937 [illegible] SDEN No. 1647/26, दिनांक 28.10.2026 [illegible] SBI Bank - शाखा- Raja Bazar, ब्रांच कोड-03563, [illegible]

आनंद सोम - मो नं. : 8051762088

AFFIDAVIT

I, Rinku Devi, Date of Birth 01.01.1991 W/o Pappu Kumar Singh, R/o Suryadev Nagar, Manpur, P.S.Mofasail, District-Gaya ji, do hereby declare vide Affidavit no. 41151/.26.10.2026. That my name is Rinku Devi as mentioned in my Adhar card, Voter I.D., and PAN Card. I also state that I am mother of TANU KUMARI who have passed matriculation from DAV PUBLIC SCHOOL, Cant.Area, Gaya bearing roll no.22143173 and the name of mother written as Rinku Singh which is wrong.

शपथ पत्र

मैं, लीयाकत करीम (Leayaquat Karim) पिता-स्व. सआदत करीम (Late Saadat Karim) निवास-करीम मंजिल सगुना, दानापुर, पोस्ट-दानापुर कैंट, थाना-दानापुर, जिला-पटना, बिहार-801503, शपथ पत्र सं.-23119, दिनांक 03.11.2026 के द्वारा घोषणा करता हूं कि लीयाकत करीम अंसारी (Leayaquat Karim Ansari) एवं लीयाकत करीम (Leayaquat Karim) दोनों नाम मेरा ही है और मैं दोनों नामों से जाना एवं पहचाना जाता हूं।

NAME CHANGE

I, Army No.-4295743N Rank HAV/CLK, name-Suraj Kuamr, R/o-House-Vattamattathil, Vill.-Bijitpur, P.O.-Makhdumpur, Dist.-Jehanabad, Bihar-804422 do hereby declare that vid affidavit No.-17007, dt. 04.11.26 that I want to change name and Date of Birth of my mother in my Military worngly mentioned in Lalmuni Devi to change actual name Bulkan Devi future all purposes DOB-18.03.1950 to 01.01.1953

पाठकों से

'आज' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वत: जांच करके कार्य करें। इसके संबंध में कोई भी दावा 'आज' प्रकाशन पर न होगा।

प्रबंधक

चाक की रफ्तार तेज

दीपावली के लिए मिट्टी के दीये तैयार करने में जुटे कुम्हार

अरवल। दीपावली पर्व को लेकर कुम्हारों के घरों में चाक की रफ्तार तेज हो गई है। कुम्हार दिन-रात मेहनत कर मिट्टी के दीये, कलश, जाता सहित पूजा-पाठ में उपयोग होने वाले विभिन्न मिट्टी के बर्तन तैयार करने में जुटे हैं। पर्व नजदीक आने के साथ ही इनकी तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। बाजार में देसी मिट्टी के दीयों की मांग को देखते हुए कुम्हारों में खासा उत्साह है। खासकर दीपावली में पूजा-अर्चना के लिए लोग मिट्टी के दीये खरीदना पसंद कर रहे हैं। कलेर प्रखंड क्षेत्र के जयबिगहा गांव निवासी कुम्हार रघुनंदन पंडित ने बताया कि वह पिछले 60 वर्षों से मिट्टी के बर्तन बनाने का कारोबार कर रहे हैं। चाक चलाकर मिट्टी को आकार देना और उससे दीये समेत अन्य पूजन सामग्री तैयार करना उनकी पारंपरिक आजीविका है।

उन्होंने बताया कि दीपावली के अवसर पर देसी मिट्टी के दीयों की विशेष मांग रहती है। इस बार भी लोगों की मांग को देखते हुए बड़ी संख्या में दीये तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मिट्टी के दीये की कीमत 100 रुपये सैकड़ा रखी गई है। रघुनंदन पंडित ने कहा कि दीपावली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। आठ नवंबर को होने वाली दीपावली पूजा के लिए लोग दीये खरीदेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवार के सदस्य भी तैयारी में जुटे हैं। उनका कहना है कि आधुनिकता के दौर में भी मिट्टी के दीयों की अपनी अलग पहचान और धार्मिक महत्ता बनी हुई है।

न्यायालय,
मुंसिफ महोदय, जहानाबाद।

वाद संख्या-71/2026

इरशाद अहमद वादी...........आवेदक

बनाम

नौशाद अहमद प्रतिवादी.........आवेदक

नोटिश बनाम : (1) नौशाद अहमद, पिता-स्व. सैयद नजरुल हसन, (2) कुंति देवी-पति. भिन्डु दास, दोनों साकिन- ग्राम परसाईन सैदाबाद, पो.-सैदाबाद-थाना-पाली, जिला-जहानाबाद (बिहार)

चूं बजरिये नोटिश आपको सूचित किया जाता है कि इस मुकदमा में हाजिर होने के लिए आपके नाम वो पता से मेरे न्यायालय द्वारा पदचर एवं निबंधित डाक से सम्मन भेजा गया है, परन्तु आप हाजिर नही हुए हैं। अतएव् इस सूचना पत्र के द्वारा अंतिम रूप से आपको आगाह किया जाता है कि अगली निर्धारित तिथि 18.11.26 को समय 10.30 AM बजे कदन में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जो कुछ उजूर पेश करना हो करें, अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में एक तरफा सुनवाई कर आदेश पारित किया जायेगा, इसे ताकिद जानें। मेरे दस्तखत और इस अदालत की मुहर से जारी पाया।

न्यायालय
मुंसिफ महोदय, जहानाबाद

खोया-पाया

यह नोटिस आम जनता को सूचित करने के लिए है कि टाइटल डीड संख्या : 3139, सीरियल नंबर - 3229, टोकन नंबर - 3240 दिनांक 07.05.2012 की मूल प्रति, जो कार्यालय रजिस्ट्रार ख्र शेरघाटी में विधिवत पंजीकृत है, रघुवीर प्रसाद पुत्र मोहन साव द्वारा ओमप्रकाश ब्रह्मचारी पुत्र राजबल्लभ प्रसाद सिंह के पक्ष में संपत्ति क्षेत्र 871 वर्ग फीट के संबंध में निष्पादित की गई है, जिसका थाना संख्या ख्र 292, खाता संख्या ख्र 66 चक प्लाट संख्या - 79 है, जो मौजा-खपरौंध, थाना -बांके बाजार, अंचल ख्रबांके बाजार, जिला - गया, पंजीकरण कार्यालय ख्र शेरघाटी में स्थित है, बिहार, 15.10.2026 को बांकेबाजार से शेरघाटी जाते समय खो गया था। यह डीड 09/10/2013 के टाइटल डीड नंबर - 7274 की चेन है, जो मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को प्रापर्टी गिरवी रखने के प्रोसेस में है। अगर किसी को यह डीड मिले, तो कृपया नीचे दिए गए कान्टैक्ट डिटेल पर बताएं और साथ ही इस ट्रांज़ैक्शन में इंटरेस्टेड सभी पार्टियों या जिनका प्रापर्टी पर क्लेम हो सकता है, उन्हें इस नोटिस के पब्लिकेशन के 14 दिनों के अंदर इस चल रहे प्रोसेस पर ध्यान देने के लिए एनकरेज किया जाता है, अगर कोई हो। सुधांशु कुमार सिन्हा- 9431968369, नूतन नगर गया

न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश (मुंसिफ)
(निम्न वर्गीय) अरवल (बिहार)

इजराय वाद सं.-05/2025
मोख्तार अंसारी-डिक्री होल्डर
बनाम
मो. ग्यासुद्दीन अंसारी व अन्य-निर्णित ऋणीगण
नोटिस बनाम

1. मो. ग्यासुद्दीन अंसारी, पिता-स्व. रमजु, 2. सलाहुद्दीन, पिता-ग्यासुद्दीन अंसारी, 3. मुस्तरी खातून, पति-जसमीन अंसारी, 4. नौशाद पिता-जसमीन अंसारी, 5. शमशाद अंसारी, पिता-जसमीन अंसारी, 6. साजीया, पिता-जसमीन अंसारी, 7. रोजी, पिता-जसमीन अंसारी सभी ग्राम-पाठक बिगहा, थाना-करपी, जिला-अरवल (बिहार)

चूं वजरिये इस प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि डिक्री होल्डर ने आप लोगों के खिलाफ उपरोक्त वाद न्यायालय में दाखिल किया है, जिसमें हाजिर होने के लिए नजारत से तथा निर्बंधित डाक द्वारा सम्मन भेजा गया है। इसके बावजूद भी आप लोग न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं।

अत: इस प्रकाशन के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है, उपरोक्त वाद में अगली तिथि 06-11-2026 निर्धारित है। उक्त तिथि को समय 10.30 बजे मेरे न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता द्वारा हाजिर होकर उपरोक्त केस में अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त वाद की कार्यवाही एकपक्षीय की जायेगी। इसे ताकीद जाने। आज दिनांक 03-11-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मुहर से जारी किया गया।

न्यायालय सिविल न्यायाधीश (मुंसिफ)
(निम्न वर्गीय) अरवल (बिहार)

आगामी कोहरे से भरे मौसम के दौरान ट्रेनों का निरस्तीकरण

आगामी कोहरे से भरे मौसम से निपटने के लिए, नीचे उल्लेखित ट्रेनें निम्नानुसार निरस्त रहेंगी:-

सम्पूर्ण निरस्तीकरण

13035/13036 हावड़ा-देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस

- **13035 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 01/12, 04/12, 08/12, 11/12, 15/12, 18/12, 22/12, 25/12, 29/12/2026, 01/01, 05/01, 08/01, 12/01, 15/01, 19/01, 22/01, 26/01, 29/01/2027, 02/02, 05/02, 09/02, 12/02, 16/02, 19/02, 23/02 एवं 26/02/2027) निरस्त रहेंगी।
- **13036 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 02/12, 05/12, 09/12, 12/12, 16/12, 19/12, 23/12, 26/12, 30/12/2026, 02/01, 06/01, 09/01, 13/01, 16/01, 20/01, 23/01, 27/01, 30/01/2027, 03/02, 06/02, 10/02, 13/02, 17/02, 20/02, 24/02 एवं 27/02/2027) निरस्त रहेंगी।

फेरे में कटौती

13019/13020 हावड़ा-काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस

- **13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 06/12, 13/12, 20/12, 27/12/2026, 03/01, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01/2027, 07/02, 14/02, 21/02 एवं 28/02/2027) निरस्त रहेंगी।
- **13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 08/12, 15/12, 22/12, 29/12/2026, 05/01, 12/01, 19/01, 26/01/2027, 02/02, 09/02, 16/02, 23/02/2027 एवं 02/03.2027) निरस्त रहेंगी।

12357/12358 कोलकाता-अमृतसर-कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस

- **12357 कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 05/12, 12/12, 19/12, 26/12/2026, 02/01, 09/01, 16/01, 23/01, 30/01/2027, 06/02, 13/02, 20/02 एवं 27/02/2027) निरस्त रहेंगी।
- **12358 अमृतसर-कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस** (यात्रा आरम्भ होने की तारीख 07/12, 14/12, 21/12, 28/12/2026, 04/01, 11/01, 18/01, 25/01/2027, 01/02, 08/02, 15/02, 22/02/2027 एवं 01/03/2027) निरस्त रहेंगी।

मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक

पूर्व रेलवे

कब्जा नोटिस

जबकि, नीचे साइन करने वाले, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के ऑथराइज्ड ऑफिसर होने के नाते, सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (54 ऑफ 2002) ("कहा गया एक्ट") के तहत टेक्नल ("आर्सिल") में बताए गए ट्रस्ट के ट्रस्टी के तौर पर अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 ("कहे गए रूल्स") के रूल 3 के साथ पढ़े गए उक्त एक्ट के सेक्शन 13 (12) के तहत मिली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, एक डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें बॉरोअर(स), गारंटर और मॉर्गेजर से अमाउंट वापस करने के लिए कहा गया है, जिसकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है:

कर्जदार/गारंटर/मॉर्गेजर ने बताई गई रकम वापस नहीं की है, इसलिए कर्जदार/गारंटर/मॉर्गेजर को खास तौर पर और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे साइन करने वाले ने, उसे दिए गए एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (4) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताई गई तारीख को "जैसा है जहां है और जो कुछ भी है" के आधार पर, नीचे बताई गई अचल प्रॉपर्टी पर [illegible] कब्जा कर लिया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम और गारंटर और LAN	13(2) नोटिस की तिथि एवं राशि (रु. में)	कब्जे की तिथि और प्रकार
1	कर्जदार: श्री/श्रीमती श्याम कुमार, श्री/श्रीमती अवधेश भगत, श्री/श्रीमती अनीता [illegible] (HL25MU2300078291) आर्सिल-ट्रस्ट-2026-013	एचएल/एलएपी सुविधा के संबंध में 22-01-2026 तक रु.1262897/- (केवल बारह लाख बासठ हजार आठ सौ सत्तानबे रुपये), भुगतान/प्राप्ति तक आगे के ब्याज और शुल्कों के साथ, साथ में सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क और व्यय। नोटिस की तारीख: 27.01.2026	02.11.2026 को प्रतीकात्मक कब्जा
प्रॉपर्टी का मालिकाना हक: मौजे-बेरुआ टोले पोनिरया, थाना-गयाघाट, थाना नंबर-150, खाता नंबर-1093,457, सर्वे नंबर 437/5788,449,448, [illegible], जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन-843118, साइट/[illegible] के हिसाब से: उत्तर - [illegible] / रास्ता, दक्षिण - रास्ता, पूरब - प्रमानंद भगत, पश्चिम - रास्ता थेन एमडी इस्लाम/मकसूद / मकबूल। डीड के हिसाब से: उत्तर - रास्ता [illegible], दक्षिण - [illegible], पूरब - हिस्सा पालिक प्रमानंद भगत, पश्चिम-मकबूल और मकसूद			

विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि आर्सिल ऊपर वर्णित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है और SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता या कोई भी व्यक्ति, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा सौदा / अलग नहीं करेगा और अचल संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार ऊपर वर्णित राशि के लिए आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि के साथ उपरोक्त राशि पर अनुबंध की दर पर भविष्य का ब्याज भी लगेगा।

उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

जगह: बिहार
दिनांक: 02.11.2026

ह/-, प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
(आर्सिल ट्रस्ट के ट्रस्टी - ARCIL-TRUST-2026-013)

Arcil
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड,
CIN - U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट: www.arcil.co.in
रजिस्टर्ड ऑफिस: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028. टेल: +91 2266581300